न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
68 / 2022	28-04-2022	14-11-2022

बउनवान :-

01. रमेशचन्द पुत्र श्री गुरदयाल उम्र करीब 60 साल जाति गुर्जर निवासी सांथलका तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0)

---: प्रार्थीगण

बनाम

01. गुलाबसिंह पुत्र श्री चुन्ना जाति मेघवाल
02. चेतराम पुत्र श्री भोपतराम जाति जाटव निवासीगण सांथलका तहसील टपूकडा जिला अलवर

---: असल अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

-:: निर्णय ::-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 581/593 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम सांथलका तहसील टपूकडा जिला अलवर में स्थित है। जो उपरोक्त मिन प्रार्थी की हिस्सेनुसार कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है कि जिस पर मिन प्रार्थी बहैसियत खातेदार काश्तकार शान्तिपूर्वक काबिज वो दाखिल हूँ काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ। मौके पर मिन प्रार्थी का कब्जा है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध वो सरोकार नहीं है ना ही कब्जा है ना ही कभी काश्त की, किन्तू अप्रार्थीगण जो कि मूठमर्द वो लडाका किस्म के व्यक्ति है। जो कानून कायदे की कतई परवाह नहीं करते है। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 581/593 के तरफ पूर्व में अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 581/594 के तरफ पूर्व में अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 581/594 है तथा पश्चिम दिशा में आराजी खसरा नम्बर 536/598 है। अप्रार्थीगण आऐ दिन मिन प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 581/593 की डौल को तोडने का प्रयास करते रहते है वो मना करने पर झगडा फिसाद करते है मारपीट करने पर आमदा रहते है। अप्रार्थीगण ने पूर्व में भी मिन प्रार्थी के कब्जा में मुजाहित हुए वो आराजी में प्रवेश करने का असफल प्रयास किया जिस पर मिन प्रार्थी ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 581/593 रकबा 1.26 हैक्ट की पैमाईश के लिऐ तहसीलदार टपूकडा के यहां पैमाईश करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर दिनांक 21.07.2022 को पटवारी सांथलका आराजी खसरा नम्बर 581/593 रकबा 1.26 हैक्ट वाके ग्राम सांथलका की पैमाई के लिए मौके पर जाकर गांव के लोगों के समक्ष पैमाईश की गई वो पैमाईश करके बिन्दू कायम किए वो आराजी चिन्हित कर दी। दिनांक 21.10.2022 को अप्रार्थीगण ने मिन प्रार्थी की डौल तोडने वो जबरन कब्जा करने का असफल प्रयास किया तथा जिस पर मिन प्रार्थी को यह मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया आराजी अन्दर हदूद अदालत में स्थित है वो पक्षकारान भी अन्दर हदूद

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

... समाअत श्रीमान है। इसलिए दिनांक 21.10.2022 ...पुखासमत है आराजी खसरा नम्बर 581/593 रकबा 1.26 हैक्ट वाके ग्राम सांथलका तहसील टपूकडा की पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 21.07.2022 के अनुसार पत्थरगढी कराई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर। जरिये सम्मन नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाद तामिल जबाब हेतु अनुपस्थित रहे।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सूनी गई बहस मनन व पत्रावली अवलोकन उपरान्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 21.07.2022 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 581/593 रकबा 1.26 हैक्ट वाके ग्राम सांथलका तहसील टपूकडा जिला अलवर की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार ~~तिजारा~~ टपूकडा को तदनुसार अहकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०